

22 ²/₁₇

पत्रावली पेशा है वकील उभयपक्ष
 उपरोक्त बंधन शर्तों पर पूर्व
 में ही चुकी है अधिवक्ता के
 बंधन पर मजबूत सिद्ध गथा।
 प्राथमिक अधिवक्ता के अपने कथनों
 एवं तर्कों से सहमत होकर प्राथमिक
 के पक्ष में एवं अधिवक्ता 1 तः 3
 के विरुद्ध मूल वाद फैसला देने
 तक अस्थायी निवेद्याज्ञा इस आशय
 की उल्लंघन की जाती है कि उपरोक्त
 नैलावत तहसील के खाने 369
 रकबा 1.04 है, खाने 370 रकबा 0.54 है
 खाने 371 रकबा 5.56 है, खाने 372
 रकबा 0.10 है, खाने 459 रकबा 0.17 है
 खाने 618 रकबा 1.85 है, खाने 619 की
 रकबा 0.95 है कुल मिला 7 का कुल
 रकबा 10.21 है जो कि प्राथमिक के
 पक्ष में जाते की वैतुक आराजी या
 से किसी प्रकार की मजालत मजालत
 व कृषि मजदूरी के आधार उत्पन्न नहीं करें
 रहने बैचान, वकील, इन तथा पूर्व
 नहीं करें। उक्त हुकम न तो खाने
 करें न ही अपने प्रतिनिधियों से
 करावे। पत्रावली फैसला सुनाने
 हुकम मूल वाद के साथ श्लोक
 है।